यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी, रूद्रप्रयाग, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, के माह मई 2013 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मुन्नाराम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रेमचन्द सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 10.05.2013 से 16.05.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह स्थापना से 04/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल वभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुदृढ़ीकरण, युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्ररों से सम्बन्धित खेल वधा प्रतियो गता, वकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्र शक्षण, युवक/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को ववेकानन्द यूथ एवाड़ के अन्तर्गत प्रोत्साहित कया जाना, खेल मैदान का वकास एवं स्वयं सेवकों को व भन्न वभागों में कार्य निष्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगो लक अ धकार क्षेत्र समस्त रूद्रप्रयाग जनपद है।

(II) (अ) वगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	--	--	25.11	22.24	64.20	64.20	--	2.87
2014-15	--	--	24.73	19.74	134.90	132.34	--	7.55
2015-16	--	--	53.94	51.30	160.00	159.82	--	2.82
2016-17	--	--	67.42	40.23	134.54	134.54	--	27.19
2017-18 (12/2017 तक)	--	--	43.53	22.02	164.80	154.28	--	32.03

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. अपर स चव 3. निदेशक 4. वत्त नियंत्रक 5. संयुक्त निदेशक 6. उप निदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखा धकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी।

2. जनपद स्तरः- 1. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी 2. व्यायाम प्र शक्षक 3. प्रशासनिक अ धकारी 4. कनिष्ठ सहायक।

3. वकास खण्ड स्तरः- 1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 से 09/2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर :- **1 ₹ 8.00** लाख धनरा श का वगत दो वर्षों से असमायोजित रहना।

वत्तीय वर्ष 2015-16 मे जिला योजना के अन्तर्गत युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन मद में ₹ 8.00 लाख की धनरा श स्वीकृत हुई| माह सतम्बर 2015 में उक्त धनरा श को कोषागार से आहरित कर खण्ड वकास अ धकारियों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वतरित कर दिया गया। ववरण निम्नानुसार है।

खण्ड वकास अ धकारी अगस्त्यमुनि	₹ 3.60 लाख	ड्राफ्ट सं 554006 दि.13.10.2015
खण्ड वकास अ धकारी अगस्त्यमुनि	₹ 2.60 लाख	ड्राफ्ट सं 554007 दि.13.10.2015
खण्ड वकास अ धकारी अगस्त्यमुनि	₹ 1.80 लाख	ड्राफ्ट सं 554008 दि.13.10.2015

लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क उक्त धनरा श के समायोजन बिल/वाउचर कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। जिससे खण्ड वकास अ धकारियों को प्रदान की गई धनरा श में से कतनी धनरा श व्यय की एवं कतनी धनरा श शेष है, यह सत्या पत नहीं कया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इकाई ने उत्तर में कहा क समायोजन प्राप्त होने पर प्रस्तुत कया जा सकता है। उत्तर से स्पष्ट है क इकाई द्वारा समायोजन प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया। इकाई ने उक्त धनरा श को रोकड़ बही में अ ग्रम के स्थान पर भुगतान के रूप में दर्ज कया। इस पर भी इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

अत: ₹ 8.00 लाख धनरा श असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर **:- 2 ₹ 2.62** लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री की **17** वर्ष बाद भी नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए,एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी की जानी चाहिए, ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके। इकाई की भंडार पंजिका की जांच मे पाया गया क वर्ष 2001-02 मे भंडार का भौतिक सत्यापन कया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रूपया 262354.00 मूल्य की सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कया गया था। आगे, अ भलेखों की जांच मे पाया गया की 2001-02 के पश्चात अब तक भंडार का भौतिक सत्यापन नही कया गया तथा निष्प्रयोज्य घो षत सामग्री की 17 वर्ष बाद भी नीलामी न कए जाने के कारण उक्त सामग्री का निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हाँनि हो रही थी।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी ने उत्तर दिया क नीलामी हेतु स मति का गठन कर अति शीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नही है क्यूं क सामग्री के निष्प्रयोज्य घो षत होने के 17 वर्ष बाद भी नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी।

अत: प्रकरण उच्च अ धकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
06/2013-14	1	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या तैयार कर सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रे षत की जायेगी।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री सत्यपाल संह नेगी	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	23.07.11 से 15.08.15
2.	श्री कुशकानन्द गैरोला	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	15.08.15 से अब तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रूद्रप्रयाग, को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सा.क्षे.